



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102020-222791
CG-DL-E-28102020-222791

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 556]
No. 556]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 28, 2020/ कार्तिक 6, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2020/KARTIKA 6, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2020

सं. 39/2020-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 680(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में, एतद्वारा, और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, पहले परन्तुक में उपवाक्य (ड.) के मद (ii) के समक्ष अंक, अक्षर और शब्द “31 अक्तूबर, 2020” के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द “31 दिसम्बर, 2020” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 354/368/2017-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 38/2020-सीमा शुल्क, दिनांक 21 अक्तूबर, 2020, जिसे सा.का.नि. 657 (अ), दिनांक 21 अक्तूबर, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th October, 2020

No. 39/2020-Customs

G.S.R. 680(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017- Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the first proviso, against item (ii) of clause (e), for the figures, letters and words “31st day of October, 2020.”, the figures, letters and words “31st day of December, 2020.” shall be substituted.

[F. No. 354/368/2017-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note : The principal notification No.50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and last amended by notification No. 38/2020-Customs, dated the 21st October, 2020, published *vide* number G.S.R.657(E), dated the 21st October, 2020.